न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, औरंगाबाद।
उपस्थित– श्रीमति दिव्या वशिष्ठ
सरकार बनाम सूर्यमणी देवी
सत्रवाद संख्या–778 / 2023 / 198 / 2024
सीआईएस–778 / 2023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, औरंगाबाद।
उपस्थित– श्रीमति दिव्या वषिश्ठ,
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, औरंगाबाद।
दिनांक–18.05.2026
सत्रवाद संख्या– 778 / 2023 / 198 / 2024
नबीनगर थाना कांड सं0–170 / 2018

अभियोजन	राज्य द्वारा रणजीत सिंह सूचक
राज्य की ओर से	श्री धर्मराज शर्मा विद्वान अपर लोक अभियोजक।
अभियुक्त	1. सूर्यमणी देवी 2. शीला देवी 3. रंजीत कुमार उर्फ रंजीत सिंह
बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता	श्री अमरेन्द्र सिंह

अपराध की तिथि	**22-06-2018**
प्राथमिकी की तिथि	**22-06-2018**
अंतिम प्रपत्र की तिथि	**31-12-2019**
आरोप गठन की तिथि	**11-12-2023**
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	**14-02-2024**
तिथि जिसके द्वारा निर्णय हेतु रखा गया	**16-05-2026**
निर्णय की तिथि	**18-05-2026**
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	-

अभियुक्त विवरणी

अभियुक्त का क्रम	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत प्राप्ति की तिथि	आरोप गठन की धारा	दोष मुक्ति / दोष सिद्धी	सजा की अवधि	**विचारण के दौरान कारा में बिताई गयी अवधि का धारा 428 दं0प्र0सं0 के तहत समायोजन**
1.	सूर्यमणी देवी	15.10.2019	18.11.2019	304-B, 302 of the 120 (B)	–	–	01 महीना 03 दिन
2.	शीला देवी	–	–				–
3.	रंजीत कुमार उर्फ रंजीत सिंह	–	–				–

दिव्या वशिष्ठ
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ
औरंगाबाद

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, औरंगाबाद।
उपस्थित– श्रीमति दिव्या वशिष्ठ
सरकार बनाम सूर्यमणी देवी
<u>सत्रवाद संख्या–778/2023/198/2024</u>
सीआईएस–778/2023

<u>अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय के गवाहों की सूची</u>

क. अभियोजन गवाह,

क्रम	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
1	मुन्नी सिंह उर्फ नारदमुनी सिंह	**पक्षद्रोही**
2	रमेश सिंह	**पक्षद्रोही**
3	रंजु देवी	**मृतिका का ससुराल पक्ष**
4	मंजु देवी	**मृतिका का ससुराल पक्ष**
5.	ऋषि कुमार	**मृतिका का भाई**

ख. बचाव पक्ष के गवाह (यदि कोई हो) शून्य

क्रम	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
1	**P-1/PW-5**	**मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर।**

ग. न्यायालय गवाह (यदि कोई हो) शून्य

क्रम	नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
1	**नहीं**	**नहीं**

<u>अभियोजन/बचाव पक्ष/न्यायालय के प्रदर्श की सूची</u>

क. अभियोजन प्रदर्श,

क्रम	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	**नहीं**	**नहीं**

ख. बचाव पक्ष प्रदर्श, शून्य

क्रम	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	**नहीं**	**नहीं**

ग. न्यायालय प्रदर्श, शून्य

क्रम	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	**नहीं**	**नहीं**

घ. वस्तु प्रदर्श,

क्रम	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	**नहीं**	**नहीं**

दिव्या वशिष्ठ
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ
औरंगाबाद

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ, औरंगाबाद।
उपस्थित– श्रीमति दिव्या वशिष्ठ
सरकार बनाम सूर्यमणी देवी
सत्रवाद संख्या–778/2023/198/2024
सीआईएस–778/2023

निर्णय

अभियोजन का वाद

1. इस मामले में अभियोजन का संक्षिप्त वाद लिखित आवेदन के आधार पर यह है कि सूचक रणजीत सिंह, पिता–स्व0 मोहन सिंह, ग्राम–भरूब, थाना–ओबरा, जिला–औरंगाबाद दिनांक 22.06.2018 को सुबह करीब 08:30 बजे उन्हें सूचना मिला मिला कि उनकी भतीजी गुड़िया देवी की मृत्यु हो गई है। सूचना पाकर सभी परिवार ग्राम–ओबीपुर, थाना–बड़ेम ओ0पी0, जिला–औरंगाबाद स्थित गुड़िया देवी के ससुराल पहुंचे तो देखे कि गुड़िया देवी का शव घर के आगे मुख्य दरवाजे पर रखा हुआ था। उनकी भतीजी की शादी वर्ष 2015 में हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार विजेन्द्र सिंह, पिता–साधु सिंह, ग्राम–ओबीपुर, थाना–बड़ेम ओपी के साथ हुआ था। शादी के बाद उसके दामाद विजेन्द्र सिंह उसकी भतीजी गुड़िया देवी को साठ हजार रूपया नगद, एक पल्सर मोटरसाइकिल की मांग की पूर्ति न होने पर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रड़ताड़ित करता था एवं जान से मारने की धमकी देता था। विजेन्द्र सिंह को उसकी बहन शीला देवी के द्वारा भी मृतिका को प्रड़ताड़ित करने के लिए उकसाया जाता था। इस घटना में शीला देवी, रणजीत सिंह, सास साधु सिंह की पत्नी तथा नरेश सिंह आदि शामिल थे।

2. प्रस्तुत वाद में सूचक द्वारा दिये गये लिखित आवेदन के आधार पर नबीनगर थाना कांड संख्या–170/2018, दिनांक–22.06.2018 को धारा 304-B और 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत दर्ज हुआ।

3. अनुसंधानक द्वारा अनुसंधानोपरांत अभियुक्तों– 1. सूर्यमणी देवी 2. शीला देवी 3. रंजीत कुमार उर्फ रंजीत सिंह के विरूद्ध धारा– 304-B, 120-B, और 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत दिनांक 31.12.2019 को आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया।

4. दिनांकः–23.01.2019 को उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध धारा– 304-B, 120-B और, 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत विद्वान अपर प्रमुख मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम, औरंगाबाद के द्वारा संज्ञान लिया गया एवं दिनांक 09.11.2023 को वाद दौरा सुपुर्द किया गया।
5. प्रस्तुत वाद में अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक–11.12.2023 को धारा– 304-B, 302 और 120-B, भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप का गठन कर, आरोप हिन्दी में पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर इससे इंकार किया और विचारण की मांग की।

6. प्रस्तुत वाद में अभियुक्तों का बयान दिनांकः– 15.05.2026 को धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत

लिया गया, जिसमें उन्होने अपने आप को निर्दोष बताया।

मन्तव्य

7. प्रस्तुत वाद में अभियोजन की ओर से निम्नलिखित चार मौखिक साक्षियों को प्रस्तुत किया गया हैः–

अभियोजन साक्षी संख्या 1	**मुनी सिंह उर्फ नारदमुनी सिंह**	**(पक्षद्रोही)**
अभियोजन साक्षी संख्या 2	**रमेश सिंह**	**(पक्षद्रोही)**
अभियोजन साक्षी संख्या 3	**रंजु देवी**	**(मृतिका का ससुराल पक्ष)**
अभियोजन साक्षी संख्या 4	**मंजु देवी**	**(मृतिका का ससुराल पक्ष))**
अभियोजन साक्षी संख्या 5	**ऋषि कुमार**	**(मृतिका का भाई)**

8. अभियोजन के द्वारा एक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया हैः–

प्रदर्श P-1/PW-5 मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर गवाह संख्या–5 का हस्ताक्षर।

9. बचाव पक्ष की ओर से कोई भी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य नहीं उपलब्ध कराया गया।

अपराध अंतर्गत धारा 304-B एवं 302 और 34 भा0द0वि0

अभियुक्तगण के ऊपर आरोप है कि वह मृतिका के ससुराल पक्ष है एवं दहेज की मांग की आपूर्ति न होने पर वह उसे प्रड़ताड़ित करते थे एवं उसकी दहेज हत्या कर दिए।

अपने पक्ष को स्थापित करने के लिए अभियोजन के द्वारा पांच गवाहों को प्रस्तुत किया गया।

साक्षी संख्या–1 ने बताया कि उन्हें पता चला कि विजेन्द्र सिंह की पत्नी की मृत्यु हो गई परंतु उन्हें जानकारी नहीं है कि मृत्यु का क्या कारण था। उन्होंने दावा किया पुलिस ने उनका बयान नहीं लिया था जिस कारण अभियोजन के द्वारा उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया।

साक्षी संख्या–2 ने बताया कि मृतिका की मृत्यु प्रसव के समय ईलाज के क्रम में ही हुई परंतु घटना के समय वह हरियाणा में थे एवं मृतिका के देहांत के 6–7 माह बाद गांव आए थे। उन्होंने यह बताया कि पुलिस में उनका बयान नहीं हुआ था, जिसके आधार पर अभियोजन के द्वारा उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया गया।

साक्षी संख्या–3 का अभिकथन है कि गुड़िया देवी का विवाह विजेन्द्र सिंह से हुआ था एवं उनके ससुराल के लोग उन्हें ठीक से रखते थे। गुड़िया देवी को बच्चा होने के बाद तबियत खराब हुई एवं ईलाज के क्रम में उनका देहांत हो गया।

साक्षी संख्या–4 का कहना है कि गुड़िया देवी को उनके ससुराल के लोग अच्छे ठंग से रखते थे एवं उनकी मृत्यु बच्चा होने के बाद तबियत खराब होने से ईलाज के क्रम में हुई थी।

साक्षी संख्या–5 वर्णित किया कि मृतिका उसकी बहन थी एवं प्रसव के बाद उनकी तबियत खराब होने से ईलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हुई थी। अभियोजन के द्वारा उक्त साक्षी को उपरोक्त अभिकथन के आधार पर पक्षद्रोही घोषित किया गया है। साक्षी ने यह भी बताया कि

पुलिस के द्वारा बहन की लाश का मुआयना किया गया एवं कागज तैयार किया गया। साक्षी के द्वारा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पर बनाए गए अपने हस्ताक्षर की पहचान की गई एवं उसके हस्ताक्षर को प्रदर्श P-01/PW-05 अंकित किया गया है। साक्षी ने बताया कि अभियुक्तगण उनकी बहन को प्रड़ताड़ित नहीं करते थे।

उपरोक्त गवाहों के मौखिक साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि किसी ने भी अभियुक्तगण के द्वारा पीड़िता को प्रड़ताड़ित करने की बात उल्लेखित नहीं की है एवं सभी साक्षियों ने दावा किया है कि उनकी मृत्यु प्रसव के बाद ईलाज के क्रम में हुई। अभियोजन अन्त्यपरीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श करने में एवं चिकित्सा पदाधिकारी जिनके द्वारा अन्त्यपरीक्षण रिपोर्ट तैयार की गई को प्रस्तुत करने में विफल रहा। अतः मृतिका के मृत्यु का कारण भी स्पष्ट नहीं हो पाया। उपरोक्त विवेचन से यह बात निकलकर आती है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध अभिलेख पर मृतिका की दहेज हत्या करने का कोई परोक्ष या अपरोक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर अभियुक्तगण को उक्त धाराओं में अपराध कारित करने का दोषी नहीं पाया जाता है।

आदेश

अतः अभियुक्तगण – 1. सूर्यमणी देवी, 2. शीला देवी 3. रंजीत कुमार उर्फ रंजीत सिंह के विरूद्ध धारा– 304-B, 302 और 120-B, भा0द0वि0 में अपराध करने का दोषी न पाते हुए उन्हें उक्त धाराओं से बरी किया जाता है एवं वाद के सभी जमानतदारों को उनके बंधपत्र के दायित्वों से मुक्त किया जाता है।

लेखापित

(दिव्या वशिष्ठ)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ,
औरंगाबाद।

निर्णय आज खुले न्यायालय में लेखापित, शुद्धित, हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

लेखापित

(दिव्या वशिष्ठ)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ,
औरंगाबाद।

दिव्या वशिष्ठ
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, चतुर्थ
औरंगाबाद